भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3248
12 मार्च, 2026 को उत्तर देने के लिए

नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

†3248. श्री अरुण भारतीः
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः
श्री अतुल गर्गः
श्री राजेश वर्माः
डॉ. लता वानखेड़ेः
श्रीमती शांभवीः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार मूल्यवर्धन को बढ़ाने और कृषि आधारित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों में नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेष रूप से जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर, सागर, गाजियाबाद और सूरत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में इन इकाइयों की स्थापना के लिए प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहनों, ऋण सुविधा और विनियामक सरलीकरण सहित प्रदान की जा रही नीतिगत सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना और उद्यमों को बढ़ाने के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों अथवा मॉडल ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(घ) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उद्यमियों और कामगारों को समर्थन देने के लिए प्रदान की गई तकनीकी सहायता और कौशल विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इन पहलों से खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने, किसानों को बाजारों से जोड़ने और देशभर में रोजगार के अवसर सृजित होने की आशा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य उत्पादों के मूल्य संवर्धन और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश भर में अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं यथा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केन्द्र प्रायोजित प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से संबंधित अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है।

(ख) और (ग): एमओएफपीआई जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर, सागर, गाजियाबाद और सूरत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों सहित देश भर में योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र संस्थाओं को सब्सिडी / प्रोत्साहन प्रदान करता है। एमओएफपीआई की इन योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना और उद्यमों के विस्तार को सुविधाजनक बनाने के लिए, एमओएफपीआई समय-समय पर हितधारकों के परामर्श के आधार पर अपनी योजनाओं के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी करता है। दिशानिर्देशों में मॉडल ढांचे, बुनियादी पात्रता शर्तें, नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए आवश्यक दस्तावेज, मूल्यांकन मानदंड, आदि शामिल हैं।

(घ) और (ङ): पीएमएफएमई योजना के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत, एमओएफपीआई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) और उत्पाद विशिष्ट कौशल के लिए प्रशिक्षकों, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन्स, उद्यमियों और विभिन्न अन्य समूहों के प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करता है। इस योजना में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को मजबूत करना, सामान्य सुविधाओं का प्रावधान, इन्क्यूबेशन सेंटर, प्रशिक्षण, मार्केटिंग और ब्रांडिंग की भी परिकल्पना की गई है।

एमओएफपीआई अपने दो स्वायत संस्थानों, अर्थात् राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, कुंडली, हरियाणा (निफ़्टेम-के) और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, तंजावुर, तमिलनाडु (निफ़्टेम -टी) के माध्यम से भी हैंडहोल्डिंग सहायता, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, पायलट प्लांट, एनएबीएल-मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं, इन्क्यूबेशन सेवाएं, गुणवत्ता परीक्षण, अनुसंधान एवं विकास समर्थन, नेटवर्किंग अवसर, आदि जैसी सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है।

ये सभी योजनाएं देशभर में कार्यान्वित्त की जा रही हैं और इनका उद्देश्य खेत से खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन करना है, जिसमें भंडारण, परिवहन, बाजार संपर्क सृजन आदि शामिल हैं, जिससे फसलोत्तर हानि को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने तथा कृषि-इतर रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलती है।

दिनांक 31.12.2025 तक, पूरे देश में पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत प्रचालनरत परियोजनाओं से 4.69 लाख प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत 5.18 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं और पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत 3.29 लाख प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।

*****

अनुबंध

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए “नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां” के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3248 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

<u>प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन</u>

क्र.सं.	घटक योजना	सामान्य क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए योजना लाभ (अनुदान सहायता)	कठिन क्षेत्रों के साथ-साथ एससी / एसटी, एफपीओ, एसएचजी में परियोजनाओं के लिए योजना के लाभ (अनुदान-सहायता)
1.	एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य वर्धन अवसंरचना	पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम रु. 10 करोड़ के अधीन]	पात्र परियोजना लागत का 50% की दर से अनुदान-सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम रु. 10 करोड़ के अधीन]
2.	खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/ विस्तार	पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से अनुदान-सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये के अधीन]	पात्र परियोजना लागत का 50% की दर से अनुदान-सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये के अधीन]
3.	कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना	सामान्य क्षेत्र में पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से अनुदान-सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये के अधीन]	पात्र परियोजना का 50% की दर से अनुदान-सहायता (प्रति परियोजना अधिकतम रु. 10 करोड़ के अधीन)
4.	ऑपरेशन ग्रीन्स	एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से अनुदान-सहायता, प्रति परियोजना अधिकतम अनुदान-सहायता 15 करोड़ रुपये होगी; और स्टैंडअलोन फसलोत्तर अवसंरचना परियोजनाओं के लिए, प्रति परियोजना अधिकतम अनुदान-सहायता 10 करोड़ रुपये होगी।	एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का अधिकतम 50% अनुदान-सहायता, प्रति परियोजना अधिकतम अनुदान-सहायता 15 करोड़ रुपये होगी; और स्टैंडअलोन पोस्ट-हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए, प्रति परियोजना अधिकतम अनुदान-सहायता 10 करोड़ रुपये होगी।
5.	खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन - खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला	निजी संगठनों / संस्थाओं के लिए: पात्र लागत का 50% की दर से अनुदान-सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम रु. 5 करोड़ के अधीन]	निजी संगठनों / संस्थाओं के लिए: पात्र लागत का 70% की दर से अनुदान-सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम रु. 5 करोड़ के अधीन]
6.	मानव संसाधन और संस्थान - अनुसंधान एवं विकास	सरकारी संगठनों के लिए - उपकरणों की लागत, उपभोज्य वस्तुएं का 100% की दर से अनुदान निजी संगठनों / विश्वविद्यालयों / संस्थानों के लिए, उपकरण लागत का 50% की दर से अनुदान।	सरकारी संगठनों के लिए - उपकरणों की लागत, उपभोज्य वस्तुएं का 100% की दर से अनुदान निजी संगठनों / विश्वविद्यालयों / संस्थानों के लिए, उपकरण लागत का 70% की दर से अनुदान।

<u>खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस-एफपीआई) के अंतर्गत प्रोत्साहन संरचना</u>

श्रेणी / खंड	खंड	प्रोत्साहन संवितरण मानदंड (%)		ऊपरी सीमा (% और राशि करोड़ में)	प्रोत्साहन की दर (%)					
		न्यूनतम सीएजीआर	अधिकतम। सीएजीआर		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27
श्रेणी 1										
आरटीई/ आरटीसी	बिस्कुट	10 %	13%	8% 334.48 करोड़ रु.	5%	5%	5%	5%	4.5%	4%
	गैर-बिस्कुट				7.5%	7.5%	7.5%	7.5%	6.75%	6%
एफ एंड वी	मसाले	10 %	12%	8% 286.56 करोड़ रु.	5%	5%	5%	5%	4.5%	4%
	गैर-मसाले		15%		10%	10%	10%	10%	9%	8%
समुद्री	समुद्री उत्पाद	5%	10 %	8% 79.44 करोड़ रु.	6%	6%	6%	6%	5%	4%
	मूल्य वर्धित उत्पाद				10%	10%	10%	10%	10%	10%
मोज़ेरेला चीज		15%	16%	25% 70.75 करोड़ रु.	10%	10%	10%	8%	6%	4%
मिलेट उत्पाद	बड़ी इकाई	10 %	-	100 करोड़ रु.	-	10%	10%	10%	9%	8%
	एमएसएमई	10 %	-	10.54 करोड़ रु.						
श्रेणी. 2	जैविक उत्पाद	10 %	-		10%	10%	10%	10%	9%	8%
	अभिनव उत्पाद	10 %	-		10%	10%	10%	10%	9%	8%
कैट. 3	ब्रांडिंग और मार्केटिंग (बी एंड एम)	केवल भारतीय ब्रांड भारत में पूरी तरह से निर्मित खाद्य उत्पादों को बेचने के लिए कवर किए गए हैं।		कुल व्यय का 50%	-	विदेश में बी एंड एम पर व्यय का 50% की दर से वित्तीय प्रोत्साहन, जो खाद्य उत्पादों की बिक्री के अधिकतम अनुदान 3% या प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, के अधीन है।				

सीएजीआर- चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर

<u>पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उपलब्ध सहायता का विवरण</u>

(i). व्यक्तिगत / समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता: *पात्र* परियोजना लागत का 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजीगत सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रु. प्रति इकाई;

(ii) प्रारम्भिक पूंजी के लिए एसएचजी को सहायता: कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे एसएचजी के प्रति सदस्य को 40,000 रुपये की की दर से प्रारम्भिक पूंजी जो अधिकतम 4 लाख रुपये प्रति एसएचजी फेडरेशन के अध्धयीन है।

(iii) सामान्य अवसंरचना के लिए समर्थन: सामान्य अवसंरचना की स्थापना के लिए एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी का समर्थन करने के लिए 35% की दर से अधिकतम 3 करोड़ रुपये की क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी। सामान्य अवसंरचना अन्य इकाइयों और जनता के लिए भी उपलब्ध होगा ताकि वे पर्याप्त क्षमता के लिए भाड़े के आधार पर इसका उपयोग कर सकें।

(iv) ब्राडिंग और विपणन सहायता*:* एफपीओ / एसएचजी / सहकारी समितियों के समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक का अनुदान।

(v) क्षमता निर्माण*:* योजना में उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है: कार्यक्रम को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संशोधित किया गया है।